नम्बर व तारीख अ
जो इस हुक्म की
में जारी हुए

न्यायालयः— उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा
पीठासीन अधिकारी :— चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 157 / 2018

विष्णु पिता डालचंदजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 —प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता रतनलालजी जाति ब्राह्मण आयु वयस्क निवासी भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
2. गंगाराम पिता सीताराम जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
3. डालचंद पिता गोपीलालजी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
4. भंवरलाल पिता डालचंद जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0
5. उदयलाल पिता डालचंद जी जाति गायरी आयु वयस्क निवासी भावलीया तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 ———विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र तहत धारा 212 आर0टी0एक्ट</u>

उपस्थित :— 1— जगदीशचन्द्र मेनारिया— अधिवक्ता प्रार्थी
2— मदनलाल चपलोत — अधिवक्ता विपक्षीगण

::निर्णय:: दिनांक 06.09.2022

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0टि0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वा[illegible] अधिपत्य की आराजीयात वाके मौजा भावलिया प0ह0 भावलिया तह0 निम्बाहेडा की खाता की खाता नं0 268 की आराजी नं0 599 रकबा 0.2500 हेक्टेयर लगानी 1 रुपये 25 पैसा स्थित हैं। वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व अधिपत्य की हैं, जिसका प्रार्थी बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं, वादग्रस्त आराजीयात पर विपक्षीगण बिना किसी हक अधिकार के नाजायज रुप से कब्जा करने कि नियत से प्रार्थी से विवाद करते है तथा प्रार्थी को उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने का नाजायज प्रयास कर रहे है तथा प्रार्थी के उपयोग उपभोग में जबरन पत्थर डालकर बाधा उत्पन्न कर रहे है तथा जबरन प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात में आने जाने एवं उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करते हैं, तथा प्रार्थी एवं गांव के मौतबीरान व्यक्तियों द्वारा समझाने बुझाने पर भी किसी भी सुरत में मानने को तैयार नही है। तथा प्रार्थी के शांतिपूर्ण स्वामित्व व अधिपत्य की आराजीयात से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी विपक्षीगणो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है कि विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी एव स्वामित्व अधिपत्य की भूमि पर प्रार्थी के आने जाने, उपयोग उपभोग में जबरन बाधा पैदा नही करे न करावें, तथा प्रार्थी की खातेदारी एवं स्वामित्व अधिपत्य की आराजी में जबरन पत्थर डालकर कब्जा करने की कोशिश न स्वयं करे न किसी अन्य से करावें, तथा प्रार्थी को उनके हक हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी के उपयोग उपभोग करने में किसी

प्रकार से बाधा पैदा नही करे न करावें तथा प्रार्थी के हक हिस्से से प्रार्थी को जबरन बेदखल नही करें न अन्य से करावें। इसलिए प्रार्थी विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने के अधिकारी हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, तथा विपक्षीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया, विपक्षीगण मय वकील उपस्थित आये और विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता मदनलाल चपलोत ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया और यह निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगणो का 50 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है तथा मौके पर विपक्षीगणो ने बाडे बना रखे हैं और पशु बंधते हैं, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है क्योंकि दावा पेश करते समय प्रार्थी का कब्जा नही था विपक्षीगणो की ओर से अपने कब्जे के समर्थन में गांव के मौतबीरान श्री रतनलाल पिता रुपाजी मेघवाल आयु 63 वर्ष निवासी भावलिया, फकीरचन्द पिता मांगुजी मेघवाल आयु 63 वर्ष निवासी भावलीया व सोहनलाल पिता उदेसिंहजी राजपुत निवासी भावलीया के भापथ पत्र पेश किये जिन्होने से विपक्षीगणो के कथन को दौहराया कि उक्त भूमि पर विपक्षीगणो का 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है तथा विपक्षीगणो की ओर से तहसीलदार निम्बाहेडा की कब्जे की रिपोर्ट पेश की गई जिसमे भी विपक्षीगणो का कब्जा दर्शाया गया, तथा वादी की ओर से बहस के दौरान पत्थरगढी की नकल पेश की गई तथा यह निवेदन किया गया कि पत्थरगढी में विपक्षीयों का कब्जा नही दर्शाया गया।

उभयपक्षों की बहस सुनी तथा विपक्षीगण की ओर से माननीय राजस्व मंडल के न्यायिक द्रष्टांत आर0आर0डी0 पेज नं0 214 में सुलतान बनाम मधु सुधन–(72) तथा पेज नं0 28 शंकरलाल बनाम एलआर्स रूपा तथा पेज न0 148 सुरेन्द्र कुमार बनाम राजेन्द्र कुमार टाईम्स(एच0सी0) की फोटो प्रति पेश की गई। जिसका अवलोकन किया गया प्रकरण के तथ्यों से यह तथ्य स्पष्ट रुप से आया कि दावे व प्रार्थना पत्र से पूर्व कब्जा विवादग्रस्त आराजी पर विपक्षीगणो का है इसलिए प्रार्थी का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही हैं सुविधा का संतुलन विपक्षीगण के पक्ष में हैं, तथा प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णिय क्षति होने की संभावना नही हैं।

अतः आदेश किया जाता है कि न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 20.08.2018 को निरस्त की जाती हैं, और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

चन्द्रशेखर भण्डारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)